



- अंडमान लोक निर्माण विभाग द्वारा इस वित्त वर्ष में एक सौ पचपन किलोमीटर से अधिक सड़क बनाने की योजना है।
- अंडमान निकोबार द्वीपसमूह को स्वच्छ और हरा-भरा बनाए रखने और द्वीपों को कचरा मुक्त बनाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं।
- भारतीय न्याय संहिता के बारे में जानकारी देने के लिए गर्ल्स स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- कार-निकोबार के बिग लपाती गांव में किसानों और कृषि विभाग के कर्मियों के लिए मधुमक्खी के छत्ते के बक्से बनाने पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का कल समापन हो गया।
- उद्योग विभाग सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकीकरण के लिए प्रधानमंत्री योजना-पी.एम. एफ.एम.ई. को लागू कर रहा है।



अंडमान लोक निर्माण विभाग द्वारा इस वित्त वर्ष में एक सौ पचपन किलोमीटर से अधिक सड़क बनाने की योजना है। विभाग के मुख्य अभियंता इंजीनियर प्रीजीत रेख ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में बताया कि प्रशासन द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है और स्वीकृति मिलते ही अक्टूबर से संभवतः काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष विभाग द्वारा पूरे द्वीपसमूह में एक सौ चौबीस किलोमीटर सड़कें बनाई गई थी।



अंडमान निकोबार द्वीपसमूह को स्वच्छ और हरा-भरा बनाए रखने और द्वीपों को कचरा मुक्त बनाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। ठोस कचरा प्रबंधन और इसका उचित निपटान इस दिशा में एक प्रमुख घटक है। द्वीपसमूह के सभी सत्तर ग्राम पंचायतों में छब्बीस ठोस कचरा प्रबंधन कलस्टर स्थापित किए गए हैं। इनके माध्यम से कचरों को एकत्र करना, उनको अलग-अलग करना और आगे के प्रसंस्करण के लिए भेजना है।

हालांकि कलस्टर को अलग किए गए कचरों को ही एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसके साथ मिश्रित कचरे भी भेज दिए जाते हैं, जिससे उद्देश्य की प्राप्ति में व्यवधान उत्पन्न होता है। ग्रामीण क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों को ग्राम पंचायतों के साथ जोड़ा गया है और इस संबंध में संबंधित विभाग की ओर से एस ओ पी भी जारी किया गया है। इन कलस्टरों को सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग प्राप्त करने के लिए स्थापित किया गया है। कचरों को अलग-अलग कर सौंपना द्वीपों में कचरा प्रबंधन कड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लोगों से इस दिशा में सहयोग की कामना की गई है।



भारतीय न्याय संहिता के बारे में जानकारी देने के लिए हाल ही में गर्ल्स स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस विभाग के एस आई अभिषेक हलदार ने इस नए कानून के महत्व के बारे में जानकारी दी। समाज कल्याण विभाग की महिला कल्याण अधिकारी रीता देवी ने समाज में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक प्रगति तथा समानता पर अपने विचार रखे। पॉक्सो अधिनियम के बारे में जानकारी दी। इससे पहले बाल विकास परियोजना अधिकारी ज़रीना बीबी ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला।



कार-निकोबार के बिग लपाती गांव में किसानों और कृषि विभाग के कर्मियों के लिए मधुमक्खी के छत्ते के बक्से बनाने पर आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का कल समापन हो गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम कार-निकोबार के आंचलिक कृषि कार्यालय और उद्योग विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रेरित करना और मधुमक्खी के छत्ते के बक्से बनाने में आत्मनिर्भर बनाना था। पांच विभागीय कर्मचारी और एक किसान ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। समापन समारोह में मधुमक्खी पालन के महत्व और उच्च मूल्य कृषि के तहत विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई।



उद्योग विभाग आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक नई शुरु की गई केन्द्र प्रायोजित योजना सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकीकरण के लिए प्रधानमंत्री योजना-पीएम एफएमई को लागू कर रहा है।

इसका उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उत्पादों के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, सामान्य बुनियादी ढांचे, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन को मजबूत करना है। इस योजना के तहत व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को अनुदान और बीज पूंजी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना में एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण अपनाया गया है। दक्षिण अंडमान जिले में समुद्री आधारित मछली उत्पाद और मध्योत्तर अंडमान तथा निकोबार जिले के लिए नारियल आधारित उत्पादों को शामिल किया गया है। योजना का लाभ उठाने तथा खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों से ऑनलाइन आवेदन करने को कहा गया है। अधिक जानकारी के लिए उद्योग निदेशालय या उद्योग विभाग की शाखाओं से कार्य दिवसों में फोन पर भी संपर्क किया जा सकता है।



मुख्यभूमि के विभिन्न संस्थानों में पेशेवर तकनीकी और गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों के अलावा बी ई लेटरल एंट्री के तहत सीटों के आवंटन के वास्ते आवेदन कर चुके उम्मीदवारों की अस्थाई योग्यता सूची आज कॉलेज प्रवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। दावे और आपत्तियां बारह जुलाई की शाम पांच बजे तक उच्च शिक्षा के सहायक सचिव के पते पर जमा किए जा सकते हैं।



डॉ. बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रथम वर्ष डिप्लोमा कार्यक्रम और छात्रावास के विद्यार्थियों के लिए अंशकालिक योग इंस्ट्रक्टर्स की नियुक्ति की जाएगी। बारह जुलाई को दिन में बारह बजे संस्थान में साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। चुने गए उम्मीदवारों को साढ़े सात सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा अट्ठारह हजार रुपये प्रतिमाह होगी। इच्छुक उम्मीदवार दस्तावेज कल तक संस्थान के अकादमिक प्रकोष्ठ में जमा कर सकते हैं।

उधर, पर्यावरण और वन विभाग में लास्कर और ऑयलर के पद में भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों की ट्रेड परीक्षा अब आज के स्थान पर तीस जुलाई को नेताजी स्टेडियम के स्वीमिंग पुल में ली जाएगी।



जलयान सिंधु कल मायाबंदर जाएगा। जहाज सुबह छह बजे हैडो जेट्टी से छूटेगा और कल ही दोपहर एक बजे इसकी पोर्ट ब्लेयर के लिए वापसी होगी। इस यात्रा के लिए टिकट स्टार्स टिकटिंग काउंटर से आज सुबह नौ बजे से दिए जाएंगे।



भारतीय तेल निगम की बॉटलिंग संयंत्र होपटाउन की ओर से हाल ही में अग्नि दुर्घटना और बचाव पर आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन किया गया। आपदा प्रबंधन निदेशालय, पुलिस, एन डी आर एफ, सी आई एस एफ, दमकल विभाग, स्वास्थ्य और उद्योग विभाग के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में आपातकालीन स्थिति में अग्नि दुर्घटना से बचने और इसे नियंत्रित करने के बारे में जानकारी दी गई।

